भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3502
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एचआईवी स्व-परीक्षण

3502. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री खगेन मुर्मुः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार एचआईवी स्व-परीक्षण (एचआईवीएसटी) को मौजूदा राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) चरण-V में किस प्रकार एकीकृत करने की योजना बना रही है;
(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि स्व-परीक्षण किट विशेषकर हाशिए पर और गरीब लोगों के लिए सस्ती और सुलभ हों;
(ग) एचआईवी स्व-परीक्षण की पहुंच बढ़ाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका क्या है; और
(घ) क्या निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और गैर-सरकारी संगठनों के साथ कोई मौजूदा सहयोग है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के तहत, स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता प्री-टेस्ट और पोस्ट-टेस्ट परामर्श के साथ एचआईवी जांच करता है। जांच किए गए प्रतिक्रियाशील मामले तीन कड़े परीक्षण एल्गोरिदम के माध्यम से एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्रों (आईसीटीसी) में प्री-टेस्ट और पोस्ट-टेस्ट परामर्श के साथ जांच में सक्रिय पाए गए मामले एचआईवी के पुष्टि-परीक्षण से गुजरते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षण के परिणाम ठीक हैं। एचआईवी से जुड़े कलंक और भेदभाव के कारण एनएसीपी के तहत प्री-टेस्ट और पोस्ट-टेस्ट परामर्श एचआईवी परीक्षण का एक अभिन्न अंग है। आज की तारीख तक, भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में उपयोग हेतु किसी भी एचआईवी स्व-परीक्षण किट को प्रमाण पत्र/लाइसेंस जारी नहीं किया है। मौजूदा राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) चरण-V में एचआईवी स्व-परीक्षण को एकीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है।

******